

वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में झिमार बाजार से तल्ला विरल गांव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरक राम जी के नाम मोटर मार्ग का निर्माण (6.250 किमी.) (2.6802 है०)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1435/III(2)/16-49 (एम०एल०ए०)/2015 दिनांक 22.03.2016 के द्वारा 6.00 किमी. लम्बाई हेतु रु० 28.48 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। जिसकी वास्तविक लम्बाई 6.250 किमी. है। इस मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य 2-3 स्थानों से किया गया जिसमें अधिक वन भूमि प्रभावित होने के साथ-साथ वृक्ष भी अधिक प्रभावित हो रहे थे। इस प्रकार कम-से-कम वन भूमि वाले क्षेत्र को मानते हुए सर्वेक्षण का कार्य किया गया, जिसमें वृक्ष भी कम प्रभावित हो रहे हैं। तथा ग्रामीणों की मांग के अनुसार स्थानीय जनता को अधिक लाभ प्राप्त होने पर यह समरेखन स्वीकृत किया गया है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल राज्य वन भूमि 0.2925 है० तथा वन पंचायत भूमि 2.3877 है० कुल 2.6802 है० प्रभावित होगी। इस प्रकार कम-से-कम वन भूमि प्रभावित होने पर 2.6802 है० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी

जौरासो वन क्षेत्र

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उमेश शर्मा

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र विभाग, अल्मोड़ा (रानीखेत)
जिला अल्मोड़ा (रानीखेत)

सहसलदार
खण्ड (खुमाड)
जिला अल्मोड़ा

उपनिरीक्षक,
खण्ड,
जिला-अल्मोड़ा (खुमाड)

अध्यापक वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.